

2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./51/2023

1. गोपाल पुत्र चन्द्रा जाति माली निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला केकड़ी प्रार्थीगण

बनाम

1. नाबालिक अनुष्का पुत्री दयाल संरक्षक सरपरस्त माता संजू
2. गोपाल पुत्र गणेश गिरी
3. छीतर पुत्र प्रेम गिरी
4. पुष्पादेवी पत्नी सुरेश
5. पानी पत्नी प्रेम गिरी
6. फूली पत्नी गणेश गिरी(विलोपित)
7. संजू पत्नी स्व० दयाल
8. सायरी पुत्री रतन गिरी
9. हंसराज पुत्र रतन गिरी समस्त जातिगण गुसाईं निवासीगण नागोला, तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शिवचरण चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू०अ०नि० क्षेत्र नागोला के खाता सं० 183 में दर्ज खसरा नं. 2820 रकबा 0.28, खसरा नं. 2821 रकबा 0.30 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण रथाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 09 प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 10 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 05 तथा 7 लगायत 09 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी 01 लगायत 05 तथा 7 लगायत 09 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 06 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा०भू०अधि० स्वीकार करने का निवेदन

K

किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम नागोला के खाता संख्या 183 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा नागोला पटवार क्षेत्र नागोला भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 183 में दर्ज खसरा नं. 2820 रकबा 0.28, खसरा नं. 2821 रकबा 0.30 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.58 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/- रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी